

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1069 / 2012

संस्थापित दिनांक 31 / 12 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. ऋषी छारी पुत्र स्व0 श्री प्रकाशचन्द्र छारी उम्र 31 साल
निवासी हनुमान नगर गोले का मंदिर, ग्वालियर

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 23.12.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8:00 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु दिए गए शासकीय गेहूं का विधि विरुद्ध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि शासकीय उत्कृष्ट कन्या अनुसूचित जाति छात्रावास गोहद की अधीक्षिका ऋचा छारी को छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु शासकीय गेहूं प्रदान किया जाता था जो कि अधीक्षिका के छात्रावास से लगे शासकीय आवास में रखा हुआ था। दिनांक 08.10.11 को शाम को पटवारी अमरसिंह कोरकू को दूरभाष से सूचना मिली थी कि उक्त गेहूं को कोई व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि अधीक्षिका का भाई ऋषी छारी एवं उसका साथी शासकीय गेहूं को बुलेरो मैक्स लोडिंग वाहन में भरकर बेचने के

लिए तैयार खड़े थे तब उसने उक्त गाड़ी को रोककर तहसीलदार गोहद को सूचित किया था। तहसीलदार गोहद कोटवार रामअवतार को साथ लेकर मौके पर पहुंचे थे एवं देखा था कि उक्त वाहन में साढ़े 14 बोरी शासकीय गेहूं लदा हुआ था। प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 50 किलो था। अधीक्षिका का कमरा खुला हुआ पाया गया था उसके द्वारा आश्रम के चौकीदार दीपचंद एवं कोटवार रामवतार के समक्ष गेहूं की जप्ती की गई थी तथा मौके पर पंचनामा तैयार किया गया था। फरियादी अमर सिंह द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप0 क्र0 216/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8:00 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु दिए गए शासकीय गेहूं का विधि विरुद्ध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी दीपचन्द अ0सा01, एस0डी0एम0 आर0एस0 बाकना अ0सा02, नबाव अ0सा03, प्रेमचंद अ0सा04, रामऔतार अ0सा05, ए0 एस0आई0 तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा06, ए0एस0आई0 लक्ष्मण सिंह गौड अ0सा07 एवं सेवानिवृत्त एस0आई0 एस0बी0 सिंह राठौर अ0सा08 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में एस0डी0एम0 आर0एस0 बाकना अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषी छारी को नहीं जानता है। घटना के समय वह गोहद में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2012 की घटना है उसे मोबाइल पर सूचना मिली थी कि जेल के पास स्थित कन्या आश्रम में छात्रावास का गेहूं वाहन में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है वह एवं पटवारी हल्का मौके पर पहुंचे थे वहां वाहन में गेहूं के करीब साढ़े 14 बोरे जिसमें प्रत्येक बोरे में 50 किलो वजन था, लोडिंग वाहने में रखे हुए थे। उसे बताया गया था कि

छात्रावास की अधीक्षिका छारी द्वारा गेहूं बेचने के लिए ले जाया जा रहा था उक्त वाहन का मौके पर पंचनामा बनाकर वाहन को थाने ले जाया गया था जहां पर थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई थी। काफी समय हो चुका है। उसे लोडिंग वाहन का नंबर याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह वहां पहुंचा था तो वहां पर दो लडके गेहूं भर रहे थे उसे उनका नाम मालूम नहीं था वह उसकी गाड़ी को देखकर भाग गए थे उसे उस गाड़ी का नंबर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे मोबाइल पर किसी पत्रकार द्वारा सूचना दी गई थी। उस पत्रकार का नाम उसे याद नहीं है। सूचना मिलने के बाद वह शासकीय वाहन से मौके पर पहुंचा था उसके साथ पटवारी कोरकू भी था। पद क्र04 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह ऋषि छारी को नहीं पहचानता है वह ऋषि छारी का नाम चौकीदार के बताए अनुसार बता रहा है। घटनास्थल से जो लडके भागे थे वह उन्हें नहीं देख पाया था। बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर नहीं भागा था, वह मौके पर ही था।

8. साक्षी दीपचंद आ0सा01 ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषि छारी को जानता है। उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे नहीं मालूम कि वह कागज किसके थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 लगायत 3 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

9. साक्षी नवाब अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5-6 साल पहले की है। वह बुलेरो गाड़ी चलाता है। दो लोग उसके पास आये थे और उन्होंने उससे भाड़ा ले जाने के लिए कहा था उन्होंने बोला था कि छात्रावास से गेहूं पिसने जाना है भाड़े के दो सौ रुपये तय हुए थे फिर वह हरिजन छात्रावास के गेट के सामने खड़ा था दोनों लोग अंदर सामान लेने चले गये थे तब एस0डी0एम0 वगैरह आ गये थे एस0डी0एम0 ने कहा था कि गाड़ी अंदर ले चलो तो वह गाड़ी अंदर ले गया था फिर एस0डी0एम0 एवं तहसीलदार महोदय ने उसकी गाड़ी में गेहूं लदवा दिए थे और गाड़ी को थाने ले चलने के लिए कहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ऋषि छारी एवं उसके साथ आये एक अन्य व्यक्ति ने उसे गेहूं पिसाने के लिए बस स्टैंड गोहद के पास वाली चक्की पर चलने के लिए कहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ऋषि छारी एवं उसके साथ आये एक अन्य लडके ने 14 कट्टे भरवाये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी उसे कभी भी भाड़े पर गाड़ी ले जाने के लिए बुलाने नहीं आया था और ना ही वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है।

10. साक्षी प्रेमचन्द अ0सा04 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। साक्षी रामौतार अ0सा05 ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने

मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी-1, पंचनामा प्र०पी-2, एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी-3 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है।

11. ए०एस०आई० तहसीलदारसिंह अ०सा००6 ने प्र०पी-9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। ए०एस०आई० लक्ष्मणसिंह गौण अ०सा००7 ने विवेचना के दौरान आरोपी ऋषि छारी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी-10 तैयार करना बताया है एवं सेवानिवृत्त एस०आई० एस०बी०सिंह राठौर अ०सा००7 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी अमरसिंह कोरकू की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। साक्षी एस०डी०एम० आर०एस० बाकना अ०सा००2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषि छारी को नहीं जानता है। घटना वाले दिन उसे मोबाइल पर सूचना मिली थी कि छात्रावास का गेंहूं वाहन में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है तो वह पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा था और उसने करीब साढ़े चौदह बоре गेंहूं लोडिंग वाहन में रखे हुए थे उसे बताया गया था कि छात्रावास की अधीक्षिका छारी द्वारा गेंहूं बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह वहां पहुंचा था तो वहां पर दो लड़के गेंहूं भर रहे थे जो उसकी गाड़ी को देखकर भाग गये थे उसे उन लड़कों का नाम मालूम नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्र०पी-2 के पंचनामे में यह लिखा है कि उस समय छात्रावास अधीक्षिका का भाई मौजूद था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त बात उसे वाहन चालक नवाब द्वारा बतायी गयी थी जब वह पहुंचा था तब तक वह भाग गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि वह ऋषि छारी को नहीं जानता है उसने ऋषि छारी का नाम चौकीदार के बताये अनुसार बताया है। घटनास्थल से जो लड़के भागे थे वह उन्हें नहीं देख पाया था।

14. इस प्रकार आर०एस० बाकना अ०सा००2 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी ने मौके पर आरोपी ऋषि छारी को नहीं देखा था एवं वह आरोपी ऋषि छारी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने प्र०पी-2 के पंचनामे में ऋषि छारी का नाम नवाब के बताये अनुसार लिखायी थी एवं उसने स्वयं ऋषि छारी को मौके पर नहीं देखा था। इस प्रकार आर०एस० बाकना अ०सा००2 के कथनों से यह प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने आरोपी ऋषि छारी को मौके पर गेंहूं ले जाते हुए नहीं देखा था। जहां तक नवाब अ०सा००3 के कथन का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि आर०एस० बाकना अ०सा००2 ने यह बताया है कि उसने प्र०पी-2 के पंचनामे में छात्रावास अधीक्षिका के भाई के मौजूद होने की बात नवाब द्वारा बतायी गयी थी परन्तु नवाब अ०सा००3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है तथा घटना वाले दिन उसे दो लोग गेंहूं पिसाने के लिए दो सौ रुपये भाड़े पर हरिजन छात्रावास ले गये थे वह गाड़ी लेकर

बाहर खड़ा था तभी एस0डी0एम0 साहब आ गये थे तथा एस0डी0एम0 साहब व तहसीलदार महोदय ने उसकी गाड़ी में गेंहूँ लदवा दिए थे और गाड़ी थाने ले चलने के लिए कहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ऋषि छारी उसके पास आया था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि ऋषि छारी व उसके साथ के एक लडके ने साढ़े चौदह कट्टे उसकी गाड़ी में भरवाये थे।

15. इस प्रकार साक्षी नवाब अ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ऋषि छारी ने उसकी गाड़ी में साढ़े चौदह बोरी गेंहूँ के कट्टे रखे थे उक्त साक्षी ने हाजिर अदालत आरोपी की पहचान भी नहीं की है। साक्षी नवाब अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. साक्षी दीपचन्द्र अ0सा01 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी रामौतार अ0सा05 ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी-1, पंचनामा प्र0पी-2 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

17. ए0एस0आई0 तहसीलदारसिंह अ0सा06 द्वारा प्र0पी-9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। ए0एस0आई0 लक्ष्मणसिंह गौण अ0सा07 ने प्र0पी-10 के गिरफ्तारी पंचनामे को प्रमाणित किया है। उक्त दोनों ही साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। सेवानिवृत्त एस0आई0 एस0बी0सिंह राठौर अ0सा08 द्वारा प्रकरण में विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि पटवारी अमरसिंह स्वयं बुलेरो गाड़ी लेकर थाने पर आया था जिसमें गेंहूँ के कट्टे रखे थे परन्तु उक्त साक्षी के कथनों से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ऋषि छारी छात्रावास का गेंहूँ विक्रय हेतु ले जा रहा था। ए0एस0आई0 तहसीलदारसिंह अ0सा06, ए0एस0आई0 लक्ष्मणसिंह गौण अ0सा07 एवं एस0बी0सिंह राठौर अ0सा08 प्रकरण में औपचारिक साक्षी हैं उक्त साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

18. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी अमरसिंह कोरकू की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष साक्षी दीपचन्द्र अ0सा01, आर0एस0 बाकना अ0सा02, नवाब अ0सा03, प्रेमचन्द्र अ0सा04 एवं रामौतार अ0सा05 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा06, ए0एस0आई0 लक्ष्मणसिंह गौण अ0सा07 एवं एस0बी0सिंह राठौर अ0सा08 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की

गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ऋषि छारी घटना दिनांक को छात्रावास का गेंहू विधि विरुद्ध रूप से ले जा रहा था। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु दिए गए शासकीय गेंहू का विधि विरुद्ध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी ऋषि छारी को संदेह का लाभ देते हुए उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा बुलेरो मैक्स क्रमांक एम0पी0-30-जी.0576 अपील अवधि पश्चात उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर दी जावे एवं जप्तशुदा साढे चौदह बोरी गेंहू के कटटे अपील अवधि पश्चात जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर विधिवत निराकरण हेतु भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशो का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23-12-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)